



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-16092025-266189
CG-CG-E-16092025-266189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4065]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947

No. 4065]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

विलासपुर, 12 सितम्बर, 2025

का.आ. 4180(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड 7A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मध्य प्रदेश राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के तालिका के स्तंभ (4) एवं (5) में उल्लेखित तहसील एवं जिला से संबंधित इस तरह के कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करता हूँ।

सारणी—1

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी	विशेष रेल परियोजना	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी	“एपीआर-एनकेजे सेक्शन के बीच आरओबी प्रदान करके रूपौंद - झालवाड़ा स्टेशनों के बीच किमी.1013/27-29 पर मानवयुक्त	कटनी	कटनी

		लेवल क्रॉसिंग संख्या बीके-101 को समाप्त किया जाएगा।”		
--	--	--	--	--

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/बी एस पी/आर ओ बी /एल सी संख्या BK-101/भूमि अधिग्रहण /1]

संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(S. E. C. Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 12th September, 2025

S.O. 4180(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as the Competent Authority to perform the functions of such authority under the said Act in respect of the Special Railway Project mentioned in column (3) of the table below & relating to Taluka and District in column (4) & (5) of the table below in the State of Madhya Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Table-1

Sl. No.	Competent Authority	Special Railway Project	Taluka	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sub-Divisional Officer Revenue Katni	“Elimination of Manned level crossings No. BK-101 at Km.1013/27-29 between Rupaund - Jhalwara stations by providing ROB between APR-NKJ section.”	Katni	Katni

[F. No. DY. CE/GSU/BSP/ROB/LC No. BK-101/land acquisition /1]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP